

डिक्री बमुकदमें ईबतदाई

अ. आदेश 20 नियम 6-7 व्या.प्रक्रियां संहिता

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, टिब्बी

पीठासीन अधिकारी-मीनू वर्मा आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या:- /2019

- रणवीरसिंह पुत्र हरमेलसिंह जाति जटसिख निवासी 13 जीजीआर तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ। वादी

बनाम्


- हरमेलसिंह पुत्र सुखदेवसिंह
 - किरणदीप कौर पुत्री हरमेलसिंह
 - सुखवीरकौर पत्नी हरमेलसिंह
- जाति जटसिख निवासी 13 जीजीआर तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

यह राजस्व मुकदमा आज मुझ मीनू वर्मा आर.ए.एस.के समक्ष वास्ते इनफिसाल कतई रोबरू हमारे बहाजरी श्री वकील वादी महावीरप्रसाद वर्मा मिन जामिन मुदई श्री करनैलसिंह प्रतिवादीगण मिन जानिब मुदायला पेश होकर हुकम दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि चकनं 13 जीजीआर के पन 190/284 मु 89 किलानं 4/1/.228, 4/2/.025 गै 0मु रास्ता, 5/1/.215, 5/2/.038 है 0 गै 0मु रास्ता, 6/1/.227, 6/2/.013 है 0 गै 0मु रास्ता, 6/3/.013 है 0 गै 0मु कुआं, 7,14,15/1/.240, 15/2/.013, पन 191/284 मु 90 किलानं 7,8,9,10,11,12,22, 23, पन 192/276 मु 27 किलानं 15/1/.228, 15/2/.025, 17,18,19,22,23, 24, पन 192/277 मु 34 किलानं 2,3,4, 7/2/.126 है 0 का वादी को तथा चकनं 13 जीजीआर के खाता सं 323/264 में से प्रतिवादी सं 1 के नाम से दर्ज 1.139 है 0 भूमि की प्रतिवादीया सं 3 सुखवीरकौर को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर चकनं 13 जीजीआर के खाता सं 322/262 में से प्रतिवादी सं 1 का हिस्सा कम कर शेष हिस्सा प्रतिवादी सं 1 का बदस्तुर रखे जाने व इसी चक के खाता सं 323/264 में से प्रतिवादी सं 1 का नाम कलमजन किये जाने के आदेश दिये जाते है। इसी अनुसार राजस्व अभिलेख में अंकन किया जावे। उक्त आराजी पर बैंक ऋण की स्थिति रहन मुक्त होने के पश्चात् राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे।

निज.....निल.....मुब्लिक.....निल.....बाबत.....निल.....खर्चा
मुकदमें के मय शुद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलयाबी तक
.....अदा करें।

वसूत मेरे दस्तख्त एवं मुहर अदालत से आज दिनांक 13-9-19.....को जारी किया गया।



(मीनू वर्मा)
उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलक्टर
उपखण्ड अधिकारी, टिब्बी